Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Vol. 13, Issue 1 | May 2025 - October 2025 | pp. 25-32

पर्यावरण संरक्षण : एक मानवाधिकार दृष्टिकोण

डॉ. विजय लक्ष्मी

सह-आचार्य, राजनीति विज्ञान
गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय, अलवर (राजस्थान)

शोध सारांश

पर्यावरण संरक्षण और मानवाधिकार परस्पर अन्तःसम्बन्धित और एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी दृष्टिकोण हैं। सुरक्षित और स्वस्थ पर्यावरण मौलिक मानवाधिकारों की सुरक्षा की पूर्व शर्त है। इन दोनों दृष्टिकोणों के अन्तःसम्बन्ध को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दस्तावेजों, संयुक्त राष्ट्र के सहायक संगठन के प्रस्तावों, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के परिणाम दस्तावेजों और न्यायाधिकरणों के न्यायिक निर्णयों में मान्यता प्राप्त हुई, जिनमें मानवाधिकार ढाँचे को पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक प्रभावी साधन माना गया। वर्तमान में राज्यों द्वारा अपने आर्थिक विकास पर ज्यादा ध्यान देने और औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित विदोहन के परिणाम स्वरूप एक तरफ पर्यावरण क्षरण निरन्तर बढ़ता जा रहा है दूसरी तरफ आम लोगों के स्वस्थ पर्यावरण, स्वास्थ्य, जल, भोजन आदि जीवन के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। इन के समाधान हेतु दोनों दृष्टिकोणों के एकीकरण की आवश्यकता है। प्रस्तुत अध्ययन की प्रकृति वर्णनात्मक है। यह अध्ययन सन्दर्भ पुस्तकों, प्रकाशनों, लेखों, समाचार पत्रों, वेब ब्लॉगों एवं सम्भाषणों से एकत्र किए गए द्वितीयक तथ्यों पर आधारित है। प्रस्तुत शोध पत्र के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण और मानव अधिकार दृष्टिकोण के मध्य संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय एवं भारतीय परिप्रेक्ष्य में दृष्टिगत करते हुए उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों के समाधानों पर अपना ध्यान केंद्रित किया गया है।

संकेताक्षर—*पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार, जीवन का अधिकार, सतत विकास*

प्रस्तावना

मानव अधिकार और पर्यावरण दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं। सुरक्षित, स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण के बिना मानवाधिकारों की अधिप्राप्ति संभव नहीं और मानवाधिकारों की स्थापना और उनके सम्मान के बिना सतत एवं स्वस्थ पर्यावरण के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। मानव अधिकारों एवं पर्यावरण के अंतसंबंधों को विश्व के अधिकांशतः देशों के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई।

ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार, सामान्यतः गंभीर पर्यावरणीय क्षति पहुँचाने वाली मानवीय गतिविधियाँ मानव अधिकारों का भी उल्लंघन करती हैं। यह परिप्रेक्ष्य स्वच्छ, स्वस्थ और सतत् पर्यावरण के अधिकार को महत्त्वपूर्ण मानते हुए अधिकार-आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर देता है।

पर्यावरण से संबंधित कई स्थापित मानवाधिकार हैं। यद्यपि स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार की कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है। पर्यावरणीय अधिकार मूल अधिकारों (मौलिक अधिकार) और प्रक्रियात्मक अधिकारों (मूल अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले साधन) से मिलकर बने होते हैं। मूलभूत अधिकार वे होते हैं जिनमें पर्यावरण का अधिकार के अस्तित्व या उपभोग पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इनमें नागरिक और राजनीतिक अधिकार, जैसे जीवन का अधिकार, संघ बनाने की स्वतंत्रता और भेदभाव से मुक्ति, आर्थिक और सामाजिक अधिकार,

जैसे स्वास्थ्य, भोजन और पर्याप्त जीवन स्तर के अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, जैसे धार्मिक स्थलों तक पहुँच का अधिकार और पर्यावरणीय क्षरण से प्रभावित सामूहिक अधिकार सम्मिलित हैं। इनके अन्तर्गत स्वच्छ हवा, सुरक्षित और स्थिर जलवायु, सुरक्षित जल और पर्याप्त स्वच्छता तक पहुँच, स्वस्थ और स्थायी रूप से उत्पादित भोजन, रहने, काम करने, अध्ययन करने और खेलने के लिए गैर-विषाक्त वातावरण, और स्वस्थ जैव-विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र भी अंतर्निहित हैं। प्रक्रियात्मक अधिकार कानूनी अधिकारों को लागू करने के लिए उठाए जाने वाले औपचारिक कदमों का निर्देश देते हैं। प्रक्रियात्मक अधिकारों में सूचना तक पहुँच, निर्णय लेने में भाग लेने का अधिकार, और न्याय तथा प्रभावी उपायों तक पहुँच सम्मिलित है।

स्वास्थ्य का अधिकार, सुरक्षित और स्वस्थ कार्य स्थितियों का अधिकार, पर्याप्त आवास और भोजन का अधिकार अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार उपकरणों में मान्यता प्राप्त मौलिक मानवाधिकार हैं। अस्थिर विकास से दूषित वायु और जल, ध्वनि प्रदूषण और जैव-विविधता के नुकसान के कारण मौलिक मानवाधिकारों यानी जीवन के अधिकार का उल्लंघन होता है।

स्वस्थ पर्यावरण जीवन के अधिकार का एक अनिवार्य पहलू है, न केवल मनुष्यों के लिये बल्कि ग्रह पर अन्य जानवरों के लिये भी। पर्यावरणीय क्षरण वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के जीवन को खतरे में डाल सकता है। स्वच्छ, स्वस्थ और सतत् पर्यावरण का अधिकार एक मौलिक मानव अधिकार है, जिसमें सभी व्यक्तियों को ऐसे वातावरण में रहने का अधिकार शामिल है जो उनके स्वास्थ्य एवं हितों के अनुकूल है और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह अधिकार मानव कल्याण और पर्यावरण के मध्य अन्तःसम्बन्ध को मान्यता प्रदान करता है।

पर्यावरणीय क्षरण और मानवाधिकारों के बीच अन्तःसम्बन्ध : अवधारणात्मक रूपरेखा

मानवाधिकारों और पर्यावरण कानून को पारंपरिक रूप से अधिकारों के दो अलग-अलग, स्वतंत्र क्षेत्रों के रूप में परिकल्पित किया गया। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को मानवाधिकारों के ढाँचे में स्थापित करके बढ़ावा दिया जा सकता है, जो तब तक अंतर्राष्ट्रीय कानून और व्यवहार के रूप में दृढ़ता से स्थापित हो चुका था। इन दोनों विषयों के परस्पर क्रिया करने पर उत्पन्न होने वाले कई जटिल मुद्दों के कारण, यह अपेक्षित है कि 'मानवाधिकारों और पर्यावरण' के दृष्टिकोण पर विचार हों। मानवाधिकारों और पर्यावरण संरक्षण के अन्तःसम्बन्धों के दृष्टिगत तीन दृष्टिकोण प्रचलित हैं—पहला दृष्टिकोण के अनुसार पर्यावरण संरक्षण को मानवाधिकार मानकों को पूरा करने के एक संभावित साधन के रूप में वर्णित किया गया है। जिसके अंतर्गत पर्यावरण कानून के माध्यम से मानवाधिकारों के लक्ष्य को प्राप्त करना है। दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार मानवाधिकारों का कानूनी संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक प्रभावी साधन है। तीसरा दृष्टिकोण दोनों के बीच किसी भी औपचारिक संबंध के अस्तित्व को पूरी तरह से नकारता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार, 'पर्यावरणीय मानवाधिकार' की कोई आवश्यकता नहीं है। इस दृष्टिकोण के समर्थकों के अनुसार 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून पर्याप्त विकसित हो गया है साथ ही राज्यों के घरेलू पर्यावरण का भी अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया है और एक सभ्य पर्यावरण के लिए एक अलग मानवाधिकार होना अनावश्यक है। कई विचारक इस दृष्टिकोण का विरोध करते हैं। उनका तर्क है कि पर्यावरण कानून को मानवाधिकारों से संबंधित करने पर लाभ ही होगा। विश्व के अधिकांश भागों में पर्यावरण कानून के समक्ष अनेक समस्याएँ हैं। जिनके कारण व्यक्तियों या समूहों के लिए पर्यावरण कानून के उल्लंघन को चुनौती देना प्रायः मुश्किल होता है। मानव अधिकार या संतोषजनक पर्यावरण के अधिकार की अवधारणा की सैद्धांतिक वैधता पर काफी बहस हुई है।

स्थापित मानवाधिकारों और पर्यावरण संरक्षण के बीच कभी-कभी टकराव हो सकता है। फिर भी, पर्यावरण को मानवाधिकार का मुद्दा बनाने में नैतिक लाभ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दीना शेल्टन का दावा है कि मानवाधिकार और पर्यावरण संरक्षण "समान लक्ष्यों के मूल में अतिव्यापी सामाजिक मूल्यों" का प्रतिनिधित्व करते हैं। एलन बॉयल के अनुसार यह स्वतः स्पष्ट है कि जहां तक हमारा संबंध मानवाधिकार संधियों में पाए जाने वाले अधिकारों के पर्यावरणीय आयामों से है, तो हम अनिवार्य रूप से विद्यमान संधियों में नए अधिकारों को जोड़ने के जगह मानवाधिकार कानून के 'हरितीकरण' की बात कर रहे हैं।

डिएगो क्विरोज का सुझाव है कि मानवाधिकार आधारित दृष्टिकोण अपनाने से, पर्यावरणीय मॉडल जोखिमों का प्रबंधन करने की क्षमता बढ़ाकर और पर्यावरणीय और विकास परिणामों में सुधार करके अपनी प्रभावशीलता में सुधार कर सकता है। फिलिप कुलेट भी इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच संबंध का समर्थन करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून और मानवाधिकार कानून के उद्देश्य आपस में जुड़े हुए हैं और पृथ्वी पर जीवन की बेहतर स्थितियों के लिए प्रयास करते हैं। वह आगे तर्क देते हैं कि पर्यावरण का संरक्षण स्वास्थ्य, भोजन और जीवन के अधिकारों के आनंद का एक आवश्यक और अभिन्न अंग है, जिसमें जीवन की एक सभ्य गुणवत्ता भी सम्मिलित है। यह दर्शाता है कि पर्यावरण के अधिकार को मानवाधिकार संरक्षण के मूल में सम्मिलित किया जा सकता है जिसका अंतिम उद्देश्य सभी मनुष्यों के व्यक्तित्व का विकास है।

सुबिन निझवान का मानना है कि कठोर कानूनी दस्तावेजों के अभाव में पर्यावरण कानून उभरती पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने में पिछड़ता हुआ प्रतीत होता है। पाउला स्पीलर इस बात को स्वीकार करती हैं कि आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था में मानवाधिकार और पर्यावरण संरक्षण दो मुख्य चिंताएँ हैं। समय के साथ, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून ने कड़े मानकों का पालन किया है लेकिन इसमें प्रभावी प्रवर्तन तंत्र का अभाव है, जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति द्वारा पर्यावरणीय क्षरण के लिए राज्य को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। मानवाधिकारों और पर्यावरणीय वस्तुओं दोनों के लिए कानूनी दावों में एक साथ वृद्धि हुई है, जो 'मानव' और 'पर्यावरण' के बीच की कड़ी और पर्यावरण पर मानव जीवन की निर्भरता का स्पष्ट प्रतिबिंब है। पर्यावरण और मानवाधिकार कानून दोनों में कुछ समान बिंदु हैं। दोनों विषयों की गहरी सामाजिक जड़ें हैं।

अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

अंतर्राष्ट्रीय कानून की दो महान उपलब्धियाँ हैं, गरिमा, स्वतंत्रता और समानता के जीवन के अभिन्न अंग मानवाधिकारों को परिभाषित करना और वैश्विक पर्यावरण की रक्षा करने वाले नियमों और संस्थाओं का विकास करना। मानवाधिकार और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे पर मूलभूत निर्भरता रखते हैं। मानवाधिकारों के पूर्ण आनंद के लिए एक स्वस्थ पर्यावरण आवश्यक है और इसके साथ ही अधिकारों का प्रयोग पर्यावरण संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का मुख्य ध्यान मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन पर केंद्रित रहा। 1972 में ही घरेलू स्तर पर पर्यावरण संरक्षण की आवाज वैश्विक राजनीतिक एजेंडे में शामिल हो पाई। यह आंदोलन स्टॉकहोम सम्मेलन से शुरू हुआ और आज भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के माध्यम से जारी है, जहाँ सरकारों ने विश्व की पारिस्थितिक निर्भरता को मान्यता दी और पर्यावरण संरक्षण के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता को स्वीकार किया। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन मानव अधिकारों पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण राजनीति के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया। इस सम्मेलन ने पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की शुरुआत की और इसे अंतर्राष्ट्रीय नीति और कानून के एजेंडे पर रखा। इसमें पर्यावरण संरक्षण को सतत विकास से जोड़ा गया तथा मानवाधिकारों की घोषणा और कार्य योजनाओं को तैयार किया गया। इस घोषणा में 26 सिद्धांत सम्मिलित थे जिन्हें आधुनिक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कानून की आधारशिला माना जाता है। सम्मेलन में घोषणा करते हुए कहा गया कि प्रत्येक मनुष्य को स्वच्छ एवं स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 1983 में पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग को स्थापित किया गया।

1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में "अधिकार" शब्द की स्थान पर घोषणा के पहले सिद्धांत में कहा गया कि मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य में एक स्वस्थ और उत्पादक जीवन का हकदार है। 2002 का जोहान्सबर्ग सतत विकास सम्मेलन और 2012 का संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलनों में विश्व समुदाय पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी चिंताजनक स्थिति को प्रकाशित किया गया। दिसंबर 2015 में जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते की प्रस्तावना में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्रवाई करते समय, पक्षों को मानवाधिकारों, स्वास्थ्य के अधिकार, स्वदेशी लोगों, स्थानीय समुदायों, प्रवासियों, बच्चों, विकलांग व्यक्तियों और असुरक्षित परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के अधिकारों और विकास के

अधिकार, साथ ही लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और अंतर-पीढ़ीगत समता पर अपने-अपने दायित्वों का सम्मान, प्रचार और विचार करने की आवश्यकता पर बल दिया।

इन सभी सम्मेलनों का मुख्य बिंदु यह है कि अल्पावधि में पर्यावरण की अनदेखी मानवता पर दीर्घकालिक दुष्प्रभाव डाल सकती है और मानवाधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। विगत वर्षों में मानवाधिकार कानून के सबसे उल्लेखनीय पहलुओं में से एक यह है कि संयुक्त राष्ट्र संधि निकायों, क्षेत्रीय न्यायाधिकरणों, विशेष प्रतिवेदकों और अन्य मानवाधिकार तंत्रों ने स्वस्थ पर्यावरण के लिए एक स्वतंत्र, न्यायोचित मानवाधिकार के बिना भी पर्यावरणीय मुद्दों पर मानवाधिकार कानून लागू किया है। मानवाधिकार कानून के तहत राज्यों का दायित्व है कि वे पर्यावरणीय क्षति से मानवाधिकारों की रक्षा करें।

मूल अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दस्तावेजों, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यूडीएचआर), नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र (आईसीसीपीआर) और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र (आईसीईएससीआर) में पर्यावरणीय गुणवत्ता का कोई स्पष्ट अधिकार नहीं है। यद्यपि आईसीईएससीआर के अनुच्छेद 7 में स्वच्छता के संबंध में पर्यावरण के मुद्दे का उल्लेख किया है। आईसीईएससीआर के अनुच्छेद 12 स्वास्थ्य के अधिकार से संबंधित है यह पर्यावरण और औद्योगिक स्वच्छता के सभी पहलुओं में सुधार की बात करता है, जो सीधे तौर पर एक स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण के निर्माण से जुड़ता है। बाल अधिकार सम्मेलन (सीआरसी) के तहत पर्यावरण के मुद्दे पर बीमारी और कुपोषण की रोकथाम के संदर्भ में चर्चा की गई। सीआरसी के अनुच्छेद 24, पैराग्राफ 2 (सी) में राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे पर्यावरण प्रदूषण के खतरों और जोखिमों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य मानक के आनंद के लिए बच्चे के अधिकार की पूर्ण प्राप्ति का प्रयास करें।

पर्यावरण से संबंधित ये संदर्भ किसी विशेष मुद्दे से जुड़े हैं और गुणवत्तापूर्ण पर्यावरण के मानव अधिकार को मान्यता नहीं देते। क्षेत्रीय मानवाधिकार दस्तावेज जैसे कि मानव एवं जन अधिकारों पर अफ्रीकी चार्टर और आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के क्षेत्र में मानवाधिकारों पर अमेरिकी कन्वेंशन का अतिरिक्त प्रोटोकॉल, पर्यावरण का स्पष्ट उल्लेख करते हैं। मानव एवं जन अधिकारों पर अफ्रीकी चार्टर का अनुच्छेद 24 में यह प्रावधान है कि सभी लोगों को अपने विकास के लिए अनुकूल संतोषजनक पर्यावरण का अधिकार है। इसी प्रकार साल्वाडोर प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि—प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ पर्यावरण में रहने और बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच का अधिकार होगा; सभी पक्षकार पर्यावरण की सुरक्षा, संरक्षण और सुधार को बढ़ावा देंगे। मानवाधिकार संधि निकायों और क्षेत्रीय मानवाधिकार तंत्रों ने अपने-अपने मानवाधिकार उपकरणों की व्याख्या इस प्रकार की है कि संरक्षित अधिकारों के पर्यावरणीय आयामों को मान्यता मिलती है।

अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मानव अधिकारों और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के बीच अंतर्निहित संबंध को तेजी से पहचान रही हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2022 में स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण के सार्वभौमिक अधिकार की घोषणा जैसे ऐतिहासिक कदम शामिल हैं। यह मान्यता राज्यों और व्यक्तियों को जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैसी पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए एक नया ढांचा प्रदान करती है, जो जीवन, स्वास्थ्य और जल के अधिकार जैसे मौलिक अधिकारों के लिए खतरा पैदा करती हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (एचआरसी), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)सहित प्रमुख संस्थाएं इस अधिकार को लागू करने और अंतर्राष्ट्रीय कानून, नीतिगत ढाँचे और राष्ट्रीय कार्यवाही के लिए समर्थन हेतु पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही हैं।

अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून का बड़ा हिस्सा अभी भी सॉफ्ट लॉ की श्रेणी में आता है। क्षेत्रीय मानवाधिकार दस्तावेज स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार और पर्यावरण की रक्षा, संरक्षण और सुधार के लिए राज्यों के दायित्व को मान्यता देते हैं, लेकिन यह किसी व्यक्ति को राज्य द्वारा अपने दायित्वों को पूरा नहीं करने की स्थिति में याचिका दायर करने की अनुमति नहीं देता है। स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के संबंध में क्षेत्रीय मानवाधिकार संस्थानों और घरेलू अदालतों की भूमिका काफी सराहनीय है। शेल्टन के अनुसार गुणवत्तापूर्ण पर्यावरण के अधिकार को क्षेत्रीय मानवाधिकार न्यायाधिकरणों और राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा पर्यावरणीय न्यायशास्त्र, कानून, सिद्धांतों और मानकों

को सम्मिलित कर व्याख्यायित किया जा रहा है। ऐसे निकाय पर्यावरण से संबंधित मानवाधिकार दावों का न्यायनिर्णयन करने के साथ ही राज्यों के अपने कानूनी उत्तरदायित्वों का पालन करने के लिए पर्यावरणीय मानकों का तेजी से उपयोग कर रहे हैं।

भारतीय परिप्रेक्ष्य

भारत में स्वतंत्रता से पूर्व भी कई पर्यावरण संरक्षण कानूनों की मौजूदगी थी। लेकिन मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (स्टॉकहोम, 1972) के उपरान्त इन पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया। इस हेतु एक नियामक निकाय स्थापित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के भीतर 1972 में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति और योजना परिषद् की स्थापना की गई थी। यह परिषद् बाद में पूर्ण रूप से पर्यावरण और वन मंत्रालय के रूप में विकसित हुई। यह पर्यावरण संरक्षण को विनियमित और सुनिश्चित करने के लिए देश में सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय है और इसके लिए कानूनी और नियामकीय ढांचा तैयार करता है। पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) मिलकर इस क्षेत्र के नियामकीय और प्रशासनिक केंद्र बनाते हैं। 1970 के दशक से, कई पर्यावरण कानून बनाए गए हैं। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (1972), जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम (1974), वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम (1981), पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (1986), जैविक विविधता अधिनियम (2002), अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम (2006), राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम (2010), जैसे पर्यावरणीय कानूनों के माध्यम से भारत के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रयास जारी है।

भारत का संविधान विश्व के चयनित संविधानों में से एक है जो पर्यावरण की समस्या पर ध्यान केंद्रित करता है। 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन और समय के साथ न्यायिक व्याख्या के माध्यम से संविधान के कानूनों ने भारत में पर्यावरणीय न्यायशास्त्र को विकसित किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। मेनका गांधी (1978) मामले में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन के अधिकार को व्यापक अर्थ प्रदान किया गया है, जो न्यायालय को जीवन के अधिकार के दायरे में विभिन्न अधिकारों को शामिल करने में सक्षम बनाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या करते हुए स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को इसमें शामिल किया।

रूरल लिटिगेशन एंड एनटाइटलमेंट केंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1985) उन शुरुआती मामलों में से एक है जहाँ न्यायालय ने पर्यावरण और पारिस्थितिक संतुलन से संबंधित मुद्दों पर विचार किया। इसके अलावा, फ्रांसिस कोरली मामले (1981) में न्यायालय ने जीवन के अधिकार से संबंधित कर्तव्यों के एक भाग के रूप में राज्य पर सकारात्मक दायित्वों की एक सूची तैयार की। एम.सी. मेहता बनाम यू.ओ.आई. (1986) वाद में पर्यावरण संबंधी निरक्षरता को दूर करने के लिये निर्देश दिये गए। पर्यावरणीय गुणवत्ता और जीवन के अधिकार के बीच संबंध को न्यायालय ने चरण लाल साहू मामले (1990) में और अधिक स्पष्ट किया। सुभाष कुमार (1991) मामले में, न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त जीवन के अधिकार में जीवन का पूर्ण आनंद लेने के लिए प्रदूषण मुक्त जल और वायु का आनंद लेने का अधिकार भी शामिल है। एम. सी. मेहता बनाम कमल नाथ (1996) वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि जीवन के लिये आवश्यक बुनियादी पर्यावरणीय तत्त्वों अर्थात् हवा, पानी और मृदा में की गई कोई भी गड़बड़ी जीवन के लिये हानिकारक होगी और इसे प्रदूषित नहीं किया जा सकता है। डी. जयल बनाम भारत संघ (2004) में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि विकास के अधिकार और विकास के बीच सहजीवी संतुलन बनाए रखने के लिए सतत विकास का पालन अनिवार्य है। यह अवधारणा संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का एक अभिन्न अंग है।

ऐसे मामलों की एक लंबी सूची है जिनमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को मानवाधिकार न्यायशास्त्र का एक अंग माना है और पर्यावरणीय क्षति के शिकार लोगों को राहत प्रदान की है। न्यायिक निर्णय के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि भारतीय न्यायपालिका द्वारा अपनाया गया अधिकार-आधारित दृष्टिकोण पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सही कदम है। न्यायपालिका ने विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण

कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के संदर्भ में जनहित याचिकाओं के माध्यम से संवैधानिक प्रावधानों और राष्ट्रीय कानूनों की व्याख्या करके पर्यावरण न्यायशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

प्रमुख चुनौतियाँ

अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण प्रणालियों के अंतर्गत पर पर्यावरण अधिकारों को उचित प्रकार से परिभाषित नहीं किया गया जिससे उनके प्रवर्तन एवं कार्यान्वयन में कठिनाई आती है। पर्यावरण संरक्षण और मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए पर्याप्त संसाधनों और इच्छा शक्ति का अभाव एक चुनौती है। नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी भी एक समस्या है।

पर्यावरणीय समस्याओं को मात्र पारिस्थितिक मुद्दा मानना और उन्हें मानवाधिकारों, जैसे जीवन, स्वास्थ्य और पर्याप्त जीवन स्तर के अधिकार, से जोड़ना एक बड़ी चुनौती है। कई बार, इन समस्याओं के समाधान में मानवाधिकारों के दृष्टिकोण को अनदेखा कर दिया जाता है।

राजनेता, कॉर्पोरेट संस्थाएँ, या आपराधिक सिंडिकेट या ऐसे व्यक्ति जो गंभीर पर्यावरणीय अपराधों में सम्मिलित होते हैं वे प्रायः विविध स्तरों पर कानून का उल्लंघन करते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण अपराधों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु एक स्पष्ट और प्रभावी तंत्र का अभाव है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र संप्रभु राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है उनकी अपनी सीमाएं हैं। विकसित देशों द्वारा अपनाई गई विलासितापूर्ण और असंवहनीय जीवनशैली भी पर्यावरण के क्षरण के लिए उत्तरदायी है।

आर्थिक विकास और आधारभूत ढाँचे के निर्माण को प्रायः पर्यावरण संरक्षण की कीमत पर प्राथमिकता दी जाती है, जिससे दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। पर्यावरणीय नीतियों के कारण आर्थिक बाधाओं का सामना करने वाली सरकारों और निगमों के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है।

सामान्यतः आम जनता पर्यावरणीय क्षरण का परिणाम भुगतती है और न्याय तक उनकी पहुंच सबसे कम होती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी कोई भूमिका नहीं होती है। पर्यावरणीय निर्णयों में स्थानीय समुदायों और स्वदेशी लोगों की सार्थक और प्रभावी भागीदारी को प्रायः उपेक्षित किया जाता है इन स्थानीय समुदायों और स्वदेशी लोगों के भागीदारी के अभाव में नीतियाँ निर्णय न्याय संगत एवं समावेशी नहीं होते हैं जिससे पर्यावरणीय संरक्षण के प्रयासों की प्रभावशीलता कम हो जाती है।

संसाधनों के उपयोग और पर्यावरणीय क्षरण के कारण प्रायः विभिन्न हितधारकों जैसे स्थानीय समुदाय, पर्यावरणविद और निगम के बीच संघर्ष पैदा होते हैं। इन संघर्षों का समाधान करना कठिन हो सकता है।

सुझाव

पर्यावरण संरक्षण और मानवाधिकार दृष्टिकोण के लिए स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को मान्यता देने, सूचना तक पहुँच प्रदान करने और निर्णय लेने में भागीदारी प्रदान करने और पर्यावरण मानवाधिकार रक्षकों की सुरक्षा के लिए राज्य-स्तरीय प्रतिबद्धता शामिल है । वैश्विक स्तर पर, मानवाधिकार सिद्धांतों को पर्यावरण नीतियों में एकीकृत करने, निगमों को जवाबदेह बनाने और सभी लोगों और भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों और स्वस्थ पर्यावरण तक समान पहुँच सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। मानव अधिकारों और पर्यावरणीय नुकसानों के लिए राज्यों और निगमों को जवाबदेह ठहराने के लिए कानूनी और वकालत चैनलों का उपयोग करने की आवश्यकता है।

नियामक कमियों को दूर करने और प्रवर्तन तंत्र को सशक्त करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना सर्वोपरि है। भ्रष्टाचार से निपटने, वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ाने और मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी उपायों को मजबूत करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय पहल अपरिहार्य हैं।

वैश्विक रूप से समस्त राज्यों को स्वच्छ, स्वस्थ और सतत पर्यावरण के अधिकार को मौलिक मानव अधिकार के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने की आवश्यकता है।

मानव अधिकारों और पर्यावरण को जोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय उपकरणों के अनुसमर्थन और कार्यान्वयन को मजबूत करने की आवश्यकता है।

सतत व्यावसायिक प्रथाओं को अपनाएं जाने की आवश्यकता है जिसमें कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, सतत सामग्रियों का उपयोग करना और कचरे का जिम्मेदारी से प्रबंधन करना सम्मिलित है।

स्वदेशी और स्थानीय समुदायों के अधिकारों को मान्यता देकर और उनके ज्ञान को संरक्षण रणनीतियों में शामिल करके उन्हें महत्व दें और सशक्त बनाएं। पर्यावरण संरक्षण के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम बनाते समय और साथ ही ऐसी अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी के क्षेत्र में विकास गतिविधियों की अनुमति देते समय इस विशेष तथ्य को ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है।

विश्व के अधिकांशत देशों ने प्रदूषण, क्षरण को कम करने के लिए कई कानून और अधिनियम बनाए हैं इनके व्यापक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है। मीडिया, सोशल नेटवर्क, सम्मेलन और सेमिनार लोगों के मध्य पर्यावरण जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सोशल मीडिया एक प्रकार के ऑनलाइन संचार के रूप में तीव्र गति से बढ़ रहा है और इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया भर में लोगों के मध्य पर्यावरणीय जागरूकता को प्रसारित किया जा सकता है।

निष्कर्ष

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के कानूनी ढाँचे में स्वच्छ, स्वस्थ और सतत् पर्यावरण का अधिकार को शामिल करना, एक महत्त्वपूर्ण कदम के रूप में बनकर उभरा। मानवाधिकारों का पर्यावरण से जुड़ाव पर्यावरण की रक्षा में सहायक होने के साथ ही मानवाधिकार व्यवस्था को भी सशक्त करता है। पर्यावरणीय क्षरण मानव जाति के कल्याण और मौलिक मानवाधिकारों के पूर्ण उपभोग को खतरे में डाल सकता है। मानवाधिकार दृष्टिकोण समानता और व्यक्तिगत गरिमा के सम्मान के साथ ही मानवीय और वैश्विक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है। मानवाधिकारों और पर्यावरण के मध्य अन्तःसम्बन्धों में क्षेत्रीय मानवाधिकार निकाय और घरेलू न्यायालय अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन इतने महत्वपूर्ण और अनिवार्य अधिकार को न्यायिक अनिश्चितताओं पर छोड़ना उचित नहीं है। न्यायिक व्याख्या की अपनी सीमाएँ हैं। स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को कठोर कानून में शामिल किया जाना चाहिए। विश्व के अधिकांशत देशों में पर्यावरण की रक्षा के उद्देश्य से विभिन्न कानून बनाए हैं, इन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने और उभरती पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिये उन्हें अद्यतन करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। पर्यावरणीय समस्याएँ और मुद्दे जीवित प्राणियों के बीच समस्याएँ पैदा कर रहे हैं। अपने पर्यावरण को बचाना और पर्यावरण में मौजूद तत्वों की रक्षा करना वर्तमान एवं भविष्य की अनिवार्य आवश्यकता है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. व्हाट इस द राइट टू ए हेल्दी एनवायरमेंट? इन्फोर्मेशन नोट, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ऑफिस ऑफ द हाई कमिशन, 2023, पृ.सं. 9 एचटीटीपीः//डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट यूएनडीपी डॉट ओआरजी /साइट्स/जी/फाइल्स/जेडएसकेजीकेई326/फाइल्स/2023-01/यूएनडीपी-यूएनईपी-यूएनएचसीएचआर-व्हाट इस द राइट टू ए हेल्दी एनवायरमेंट डॉट पीडीएफ
2. सभरवाल, वाई.के., ह्यूमन राइट्स एंड द एनवायरमेंट, 2005 एचटीटीपीः//सुप्रीमकोर्ट ऑफ इंडिया डॉट एनआईसी डॉट स्पीचेज/स्पीचेज-2005 द ह्यूमन राइट्स डॉट डॉक
3. एस. करिकल लतादेवी एवं सी. बेदजार्गी पृथ्वीराज, ह्यूमन राइट्स एप्रोच तो एनवायरमेंटल प्रोटक्शन एचटीटीपीः//आरजेपीएन डॉट ओआरजी/आईजेसीएसपीयूबी/ पेपर्स/आईजेसीएसपी18 डी 1005.पीडीएफ
4. बॉयल और एंसरसन एम., ह्यूमन राइट्स अप्रोच तो एनवायरमेंटल प्रोटक्शन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड, 1996
5. पाउला, एस., ला ओरोया केस लॉ : द रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ह्यूमन राइट्स ब्रीफ 18, 2010, पृ.सं. 19-23
6. बॉयल ए, ह्यूमन राइट्स एंड थे एनवायरमेंट व्हेयर नेक्स्ट?, पर्यावरण जर्नल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, 23(3), 2012, पृ.सं. 613-642
7. क्विरोज, डिएगो, द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन राइट्स : मेकिंग थे कनेक्शन, स्कॉटिश ह्यूमन राइट्स जर्नल, 50(2), 2010, पृ.सं. 1-12
8. कुलेट, पी., डेफिनिशन ऑफ एनवायरमेंटल राइट इन ए हुमन राइट्स कॉन्टेक्स्ट, नीदरलैंड्स क्वार्टरली ऑफ ह्यूमन राइट्स, 3, 1995, पृ.सं. 25
9. पाउला एस., ला ओरोया केस लॉ : द रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ह्यूमन राइट्स ब्रीफ, 18, 2010, पृ.सं. 19-23
10. नॉक्स जॉन एच. और पेजन रामिन, द ह्यूमन राइट टू ए हेल्दी एनवायरमेंट, कैंब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, यूनाइटेड किंगडम, 2018, पृ.सं. 1-16
11. एचटीटीपीएसः//डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एनआरआई. नो/एन/रिपोर्ट क्लाइमेट-इन -ह्यूमन-राइट्स/सिक्स-क्लाइमेट -इन-द-यूएन-ह्यूमन-राइट-सिस्टम

12. एचटीटीपीएसः//डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट ओएएस डॉट ओआरजी/ईएन/डीआईएल/डॉक्स/अफ्रीकन-चार्टर- ह्यूमन-पीपल-राइट्स डॉट पीडीएफ
13. एचटीटीपीएसः//डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट ओएचसीएचआर डॉट ओआरजी/ईएन/गेट-इंवॉल्वड/स्टोरी/यूनिवर्सल -डिक्लेरेशन-कैटालिस्ट-एनवायरमेंटल-ह्यूमन-राइट्स एक्शन
14. शेल्टन, डी., डेवलपिंग सब्सटेंटिव एनवायरमेंटल राइट्स, जर्नल ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड द एनवायरनमेंट, 1(1), 2010, पृ.सं. 90
15. महाराणा गायत्री एवं कौर हरपिंदर, पर्यावरणीय समस्याएँ एवं इसकी सुरक्षा, विज्ञान प्रगति, राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, जनवरी, 2024, अंक 1, पृ.सं. 23-27
16. पाठक पुनीत, ह्यूमन राइट्स अप्रोच टू एनवायरमेंटल प्रोटक्शन, 2014 एचटीटीपीएसः//डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉटरिसर्चगेटडॉटनेट/पब्लिकेशन/260339568-ह्यूमन-राइट्स-अप्रोच-टू-एनवायरमेंटल-प्रोटक्शन